



मि.सं.-50011/04/2020-समन्वय

भारत सरकार/Government of India

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय/Ministry of Agriculture & Farmers Welfare  
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग/Department of Agriculture & Farmers Welfare  
वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय/Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage  
एन.एच.-4, फरीदाबाद -121001 (हरियाणा)

दिनांक - 12.07.2022

**2022 का कार्यालय आदेश सं. - 10**

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 की उप धारा (1) तथा (5) की उप धारा (1) तथा (2) में उल्लिखित उपबंधों के अनुसरण में वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने उल्लिखित कार्यालयों/योजनाओं के संबंध में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (F.A.A.) के रूप में पदनामित किया जाता है।

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	पता	पदनामित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम व पदनाम
1.	वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय (मु.), फरीदाबाद की वनस्पति संगरोध योजना, एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन योजना, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड एवं पंजीकरण समिति सचिवालय, केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला, सतर्कता संबंधी मामले, तकनीकी विधायी सेल, कीटनाशक एकक, प्रलेखन एकक, सांख्यिकी एकक, आई.टी. सेल, योजना एवं समन्वय, राष्ट्रीय कीटनाशक अभिदेशन केन्द्र एवं राष्ट्रीय कीटनाशक अन्वेषणात्मक प्रयोगशाला, टिड्डी नियंत्रण योजना, (मुख्यालय) फरीदाबाद। क्षेत्रीय वनस्पति संगरोध केन्द्र, रंगपुरी, नई दिल्ली एवं चेन्नई, कोलकाता, बंगलोर। क्षेत्रीय केन्द्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केन्द्र, फरीदाबाद, राजभाषा अनुभाग, फरीदाबाद।	वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, एन.एच.-4, फरीदाबाद -121001 (हरियाणा) टेली-0129-2413985, फैक्स:0129-2412125 ई-मेल: ppa@nic.in	डॉ. जे. पी. सिंह, वनस्पति संरक्षण सलाहकार
2.	क्षेत्रीय कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला, <b>कानपुर</b> एवं <b>चंडीगढ़</b> ।	केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला, वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, एन.एच.-4, फरीदाबाद (हरियाणा)-121001, टेली-0129-2413014 ई-मेल: cilfbdnic.in	श्री सुभाष चन्द, संयुक्त निदेशक (रसायन वि.)

*Y. S. S.*  
12/7

2. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) का विवरण:-

केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला	केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला, वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, एन.एच.-4, फरीदाबाद (हरियाणा)- 121001, टेली-0129-2413014 ई-मेल: cilfbdnic.in	श्री सुभाष चन्द, संयुक्त निदेशक (रसायन वि.)
------------------------------	--	---

3. यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है ।

*ममता*  
12/7

(ममता छबड़ा)

कृते संयुक्त निदेशक (व.रो.वि.) एवं  
नोडल अधिकारी (आर.टी.आई.)

वितरण:

1. सभी पदनामित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में उल्लिखित और विशेष रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (4) की उपधारा (1) में उल्लिखित अनुदेशों पर आवश्यक कार्रवाई करें और आम नागरिकों की सूचना के लिए केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (CPIO) तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों (FAA) के नाम कार्यालय में प्रदर्शित किए जाएं और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विषय में व्यापक प्रचार किया जाए। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे अपने निवास का पता और टेलीफोन नम्बर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्रतापूर्वक अद्योषित करें।
2. डॉ. एन.सत्यनारायण, संयुक्त निदेशक (व.रो.वि.) एवं नोडल अधिकारी (आर.टी.आई.) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
3. निदेशालय (मुख्यालय) के सभी अधिकारी ।
4. निदेशालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी।
5. आर.टी.आई. सेल, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. वनस्पति संरक्षण सलाहकार के सूचनार्थ उनके निजी सचिव को।
7. प्रभारी, आई.टी. सेल (मुख्यालय) को इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय आदेश को निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करें ।

*ममता*  
12/7

(ममता छबड़ा)

कृते संयुक्त निदेशक (व.रो.वि.) एवं  
नोडल अधिकारी (आर.टी.आई.)